नियम 116 : अपराधिकृत प्रतिनिधि के कदाचरण के लिए निर्हता

जहां अधिनियम की धारा 116 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि मामले की जांच करने पर अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में कदाचरण का दोषी पाया जाता है, वहां आयुक्त उसे सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होने से निर्हरित कर देगा।